

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सोहनलाल बनाम सेडमल उर्फ सेडुराम बगै

किरम मुकदमा - दावा अधा 53 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर-28 / 2025

तारीख  
हुजम

13-02-2025

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर 2 लघु  
अहकाम जो हुजम  
हुकम की तारीख  
में जारी हुये

वादी की ओर से श्री कुमार गौरव खैरवा. एडो ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 27.02.2025 को पेश हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

27.2.25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमय पत्रावली पेश की। मैजिस्ट्रेट अधिकारी को/अदालत में दावा/मैटिंग में हैं। उक्त दावा अन्तर्गत कार्यवाही हेतु दिनांक 27.2.25 को पेश हो।

07.03.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर वाद पत्र को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकील वादी के निवेदन पर उक्त वादपत्र को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फाँसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Not Press  
Anil Kumar

